सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022/75 दर्ज तिथिः–04.04.2022

1. धर्माराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी मीठीबेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
.....प्रार्थी

बनाम

1. भेराराम पुत्र रावताराम
2. कानाराम पुत्र रावताराम
3. पवन कुमार पुत्र खेताराम
4. मीरों पत्नी खेताराम जाति जाट निवासी मीटीबेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
5. शाखा प्रबंधक एसबीआई कृषि विकास शाखा गुड़ामालानी
6. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री डालुराम चौधरी
अप्रार्थीः– चिमनसिंह चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी हिन्दू परिवार से संबंधित हैं। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते हैं। प्रकरण में वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण के दादा हीरा पुत्र पाबुदान की मृत्यु के पश्चात रावताराम पुत्र हीराराम, जीयों पत्नी हीरा, चूनी पुत्री हीरा, मगी पुत्री हीरा, अणसी पुत्री हीरा, व धापु पुत्री हीरा के अधिकार निहित हो गए। जीयों पत्नी हीराराम के फौत हो जाने पर पुत्रों रावताराम व पुत्रियों चूनी, मगी, अणसी, धापु में समान अधिकार निहित हो गए। रावताराम पुत्र हीराराम का देहांत हीराराम के देहांत से पूर्व ही हो गया था। इस कारण रावताराम पुत्र हीराराम की संपति पर भेराराम पुत्र रावताराम, धर्माराम पुत्र रावताराम, कानाराम पुत्र रावताराम व खेताराम पुत्र रावताराम तथा मगी पत्नी रावताराम के अधिकार निहित हो गए। मगी पत्नी रावताराम के फौत हो जाने पर पुत्रों में समान अधिकार निहित हो गए। खेताराम पुत्र रावताराम की मृत्यु

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:18 IST
Reason: SelfAttested

के पश्चात पवन पुत्र खेताराम, विमला पुत्री खेताराम व मीरों पत्नी खेताराम के अधिकार निहित हो गए।

2. प्रार्थीगण की भुआओं चूनी, मगी, अणसी, धापु का उक्त आराजी में प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा निहित हो गया। इसी प्रकार 1/5 हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01–04 का निहित हो गया। प्रार्थीगण की भुआओं चूनी, मगी, अणसी, धापु ने अपने हिस्से में से 4/25 हिस्सा दिनांक 22.06.2020 को अप्रार्थी संख्या 01–03 के पक्ष में हकत्याग कर दिया। तत्पश्चात प्रार्थीगण की भुआओं चूनी, मगी, अणसी, धापु ने अपने शेष हिस्से 16/25 में से 12/25 हिस्सा दिनांक 26.06.2020 को प्रार्थी के पक्ष में हकत्याग कर दिया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को उतराधिकर से प्राप्त 1/25 हिस्सा तथा हकत्याग से प्राप्त 12/25 हिस्सा कुल 13/25 हिस्सा प्राप्त है। इसी हिस्से के अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त हैं। प्रकरण में नामांतरकरण संख्या 99, 420 के गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 प्रार्थी को अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमदा है। अगर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 प्रार्थी को अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने में सफल हो जाते हैं तो इससे प्रार्थीगण के हकों पर अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार दौरान–ए–वाद उक्त आराजी पर रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया।

3. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन हाजिर न्यायालय हुए तथा प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की भुआओं चूनी, मगी, अणसी, धापु ने अपने हिस्से में से 4/25 हिस्सा दिनांक 22.06.2020 को अप्रार्थी संख्या 01–03 के पक्ष में हकत्याग कर दिया। उक्त हकत्याग वैध होने के कारण सही है। उपरोक्त आराजी पर सभी पक्षकारों का समान हिस्सा प्राप्त है। अतः प्रथम बार हकत्याग किये जाने के बाद हकतर्ककर्ता के हक हिस्से अपने आप शून्य हो जाते है। परंतु प्रार्थी द्वारा भुआओं चूनी, मगी, अणसी, धापु से चालाकी से दिनांक 26.06.2020 को प्रार्थी के पक्ष में दोबारा हकत्याग कर दिया। उक्त द्वितीय हकतर्क अपने आप में शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है। साथ ही प्रार्थी गलत मंशा से न्यायालय आकर अप्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करना चाहता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिप्रार्थी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अप्रार्थी उक्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल व बेचान करने पर आमादा है। इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी ने दौराने जिरह जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा भुआओं चूनी, मगी, अणसी, धापु से चालाकी से दिनांक 26.06.2020 को प्रार्थी के पक्ष में दोबारा हकत्याग कर दिया। उक्त द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:18 IST
Reason: SelfAttested

हकतर्क अपने आप में शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है। साथ ही प्रार्थी गलत मंशा से न्यायालय आकर अप्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करना चाहता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

5. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। उपरोक्त विधिक प्रावधान के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

6. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर हकत्याग दिनांक 26.06.2020 के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी के पक्ष में द्वितीय हकतर्क दिनांक 26.06.2020 अपने आप में शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है। प्रकरण एक संपति पर हकत्याग दिनांक 26.06.2020 के प्रभाव व वैधता से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही हकत्याग दिनांक 26.06.2020 के प्रभाव व वैधता एवं प्रार्थी व अप्रार्थीगण हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है। जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सबूत लेकर ही किया जा सकता है।

7. प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर हकत्याग दिनांक 26.06.2020 के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी के पक्ष में द्वितीय हकतर्क दिनांक 26.06.2020 अपने आप में शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है। प्रकरण एक संपति पर हकत्याग दिनांक 26.06.2020 के प्रभाव व वैधता से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही हकत्याग दिनांक 26.06.2020 के प्रभाव व वैधता एवं प्रार्थी व अप्रार्थीगण हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी के अंतरण होने एवं वाद के निर्णय के पश्चात् वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है। साथ ही इससे वादों की बहुलता में भी वृद्धि सम्भावित है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति उत्पन्न होना प्रतीत होता है।

8. प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर हकत्याग दिनांक 26.06.2020 के तहत कानूनी अधिकार निहित होने के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:18 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी के पक्ष में द्वितीय हकतर्क दिनांक 26.06.2020 अपने आप में शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है। प्रकरण एक संपति पर हकत्याग दिनांक 26.06.2020 के प्रभाव व वैधता से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही हकत्याग दिनांक 26.06.2020 के प्रभाव व वैधता एवं प्रार्थी व अप्रार्थीगण हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी के अंतरण होने एवं वाद के निर्णय के पश्चात् वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा वाद संख्या 2022/75 के निर्णय तक ताफैसल प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर उभयपक्षकारान को मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी व पुष्ट की जाती है।

आज 24.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:18 IST
Reason: SelfAttested